



**बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि।**  
**"खाद्य भवन" दरोगा प्रसाद राय पथ, आरो ब्लॉक रोड नं ०-२ पटना ८००००१**

पत्रांक - ०४:०९:०१:२५:२०२५ :: ९२६

/वित्त, पटना/दिनांक- २८-०५-२५-

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण,  
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र कुमार,  
सरकार के विशेष सचिव,  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:

वित्तीय वर्ष २०२४-२५ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जनवरी, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी की राशि के भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") के माध्यम से जिलावार लिमिट प्रदत्त करने के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०८-विषय-२०/२०१३(खंड)-५३ खाद्य, पटना/दिनांक-०४.०१.२०२३ की कठिका-२ में "जनवरी, २०२३ से दिसम्बर, २०२३ तक प्रत्येक माह डिस्पैच की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा" का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में प्रशासी विभाग, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष २०२४-२५ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जनवरी, २०२५ के लिए उपलब्ध कराये गये डिस्पैच आंकड़ों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि रु. ३६,९९,४८,६०६/- (रुपये छत्तीस करोड़ निन्यानवे लाख अड़तालीस हजार छ: सौ छ:) मात्र के जिलावार राशि की गणना की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में माह जनवरी, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") अन्तर्गत मार्जिन मनी मद द्वारा जिलावार Limit Assign करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथावर्णित।

विश्वासमाजन

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण

5-३/Hindi\_Letter\_2025/pg\_1526  
ज्ञापांक : ०४:०९:०१:२५:२०२५- ९२६

/वित्त, पटना/दिनांक- २८-०५-२५-

प्रतिलिपि- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/कम्पनी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं राज्य स्तरीय वित्तीय परामर्शी, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण



# बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि०

खाद्य भवन, दरोगा राय पथ, आर.ब्लॉक रोड नं०-२ पटना ८००००१

पत्रांक:-०४०९०१२५२०२५ २७९२  
प्रेषक,

वित्त, पटना / दिनांक १४-०८-२५-

महाप्रबंधक वित्त एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार,  
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,  
राज्य खाद्य निगम,  
बिहार,

**विषय:-** वित्तीय वर्ष २०२४-२५ अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह फरवरी, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की राशि के भुगतान हेतु जिलावार लिमिट प्रदत्त के संबंध में।

**प्रसंग:-** विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-१९४० दिनांक १३.०८.२०२५  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-१९४० दिनांक १३.०८.२०२५ के द्वारा वित्तीय वर्ष २०२४-२५ अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फरवरी, २०२५ के डिस्पैच ऑफिसों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि रु०-३६,८२,३०,४०७/- (छत्तीस करोड़ बयासी लाख तीस हजार चार सौ सात) रु० मात्र का जिलावार लिमिट प्रदत्त SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR-219") द्वारा किया गया है (जिलावार सूची संलग्न)।


अतः उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि मार्जिन मनी मद हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR-219") द्वारा लिमिट प्रदत्त से माह फरवरी, २०२५ से संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय।  
अनुलग्नक—यथावर्णित।

विश्वासभाजन

४०/-

महाप्रबंधक वित्त एवं  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,

**प्रतिलिपि:-** सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
**प्रतिलिपि:-** विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।  
**प्रतिलिपि:-** प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/कम्पनी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
महाप्रबंधक वित्त एवं  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,



**बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि०**  
**खाद्य भवन, दरोगा राय पथ, आरब्लॉक रोड नं०-२ पटना ८००००१**

पत्रांक:-04-09-01:25:2025

**२२९८**

वित्त, पटना / दिनांक १४-०८-२५-

प्रेषक,

महाप्रबंधक वित्त एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार,  
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,  
राज्य खाद्य निगम,  
बिहार,

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह मार्च, 2025 से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की राशि के भुगतान हेतु जिलावार लिमिट प्रदत्त के संबंध में।

प्रसंग:-

विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1940 दिनांक 13.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1940 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मार्च, 2025 के डिस्पैच ऑफिसों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि ₹०-३७,३६,०१,१३१/- (सौंतीस करोड़ छत्तीस लाख एक हजार एक सौ इकतीस) ₹० मात्र का जिलावार लिमिट प्रदत्त SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR-219") द्वारा किया गया है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि मार्जिन मनी मद हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR-219") द्वारा लिमिट प्रदत्त से माह मार्च, 2025 से संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक—यथावर्णित।


विश्वासमाजन

रु०/-  
महाप्रबंधक वित्त एवं  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,

प्रतिलिपि:- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव / कम्पनी सचिव / सभी मुख्य महाप्रबंधक / सभी महाप्रबंधक / सभी उप महाप्रबंधक एवं राज्य स्तरीय वित्तीय परामर्शी, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
महाप्रबंधक वित्त एवं  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,



**बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०**  
**"खाद्य भवन" दरोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक रोड नं०-२ पटना ८००००१**

पत्रांक – ०४:०९:०१:२६:२०२५ :: ३४२

/वित्त, पटना/दिनांक- २७-०८-२५

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण,  
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र कुमार,  
सरकार के विशेष सचिव,  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
बिहार, पटना।

**विषय:** वित्तीय वर्ष २०२५-२६ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अप्रैल, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी की राशि के भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") के माध्यम से जिलावार लिमिट प्रदत्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०६-विविध-२०/२०१३(खंड)-५३ खाद्य, पटना/दिनांक-०४.०१.२०२३ की कांडिका-२ में 'जनवरी, २०२३ से दिसम्बर, २०२३ तक प्रत्येक माह डिस्पैच की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा' का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में प्रशासी विभाग, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अप्रैल, २०२५ के लिए उपलब्ध कराये गये डिस्पैच आंकड़ों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि ₹.३७,५४,८३,०४३/- (रुपये सौंतीस करोड़ चौवन लाख तिरासी हजार तौंतालीस) मात्र के जिलावार राशि की गणना की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में माह अप्रैल, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") अन्तर्गत मार्जिन मनी मद द्वारा जिलावार Limit Assign करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथावर्णित।

विश्वासमाजन

मुख्य महाप्रबंधक २७/८/२५

5-3/Hindi\_letter\_2025/pg\_1573

ज्ञापांक : ०४:०९:०१:२६:२०२५— ३४२

/वित्त, पटना/दिनांक- २७-०८-२५

**प्रतिलिपि—** सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि—** प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं एस०एल०ए०, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक २७/८/२५



**बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिंग**  
**"खाद्य भवन" दरोगा प्रसाद राय पथ, आरोड़ ब्लॉक रोड नं 0-2 पटना 800001**

पत्रांक - 04:09:01:26:2025 :: 3143

/वित्त, पटना/दिनांक- 27-08-2025

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण,  
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र कुमार,  
सरकार के विशेष सचिव,  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
बिहार, पटना।

**विषय:** वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् माह मई, 2025 से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी की राशि के भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") के माध्यम से जिलावार लिमिट प्रदत्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र06-विविध-20/2013(खंड)-53 खाद्य, पटना/दिनांक-04.01.2023 की कांडिका-2 में "जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक माह डिस्पैच की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा" का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में प्रशासी विभाग, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् माह मई, 2025 के लिए उपलब्ध कराये गये डिस्पैच आंकड़ों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि ₹.37,85,49,641/- (रुपये सौंतीस करोड़ पचासी लाख उनचास हजार छ: सौ इकतालीस) मात्र के जिलावार राशि की गणना की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में माह मई, 2025 से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") अन्तर्गत मार्जिन मनी मद द्वारा जिलावार Limit Assign करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथावर्णित।

विश्वसनभाजन

27/8/25-  
मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण

5-3/Hindi\_letter\_2025/pg\_1574

ज्ञापांक : 04:09:01:26:2025- 3143

/वित्त, पटना/दिनांक- 27-08-2025

**प्रतिलिपि—** सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि—** प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं एस0एल0ए0, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/25-  
मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण



**बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लि०**  
**"खाद्य भवन" दरोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक रोड नं०-२ पटना ८००००१**

पत्रांक - ०४:०९:०१:२६:२०२५ :: ४०३२

/वित्त, पटना/दिनांक-२३-०९-२५

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण,  
 निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र कुमार,  
 सरकार के विशेष सचिव,  
 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
 बिहार, पटना।

**विषय:** वित्तीय वर्ष २०२५-२६ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जून, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी की राशि के भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") के माध्यम से जिलावार लिमिट प्रदत्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०६-विविध-२०/२०१३(खंड)-५३ खाद्य, पटना/दिनांक-०४.०१.२०२३ की कंडिका-२ में 'जनवरी, २०२३ से दिसम्बर, २०२३ तक प्रत्येक माह डिस्पैच की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा' का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में प्रशासी विभाग, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जून, २०२५ के लिए उपलब्ध कराये गये डिस्पैच आंकड़ों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि रु.३७,७९,००,२४४/- (रुपये सौंतीस करोड़ उनासी लाख दो सौ चौबालीस) मात्र के जिलावार राशि की गणना की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में माह जून, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") अन्तर्गत मार्जिन मनी मद द्वारा जिलावार Limit Assign करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथावर्णित।

विश्वासमाजन

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण

5-3/Hindi\_Letter\_2025/pg\_1593  
 ज्ञापांक : ०४:०९:०१:२६:२०२५— ४०३२ /वित्त, पटना/दिनांक-२३-०९-२५

**प्रतिलिपि—** सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि—** प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं एस०एल०ए०, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण



**बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०**  
**“खाद्य भवन” दरोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक रोड नं०-२ पटना ८००००१**

पत्रांक – ०४:०९:०१:२६:२०२५ :: ४०३।

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण,  
 निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र कुमार,  
 सरकार के विशेष सचिव,  
 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
 बिहार, पटना।

**विषय:** वित्तीय वर्ष २०२५–२६ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् माह जुलाई, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी की राशि के भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") के माध्यम से जिलावार लिमिट प्रदत्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०६-विविध-२०/२०१३(खंड)-५३ खाद्य, पटना/दिनांक-०४.०१.२०२३ की कांडिका-२ में “जनवरी, २०२३ से दिसम्बर, २०२३ तक प्रत्येक माह डिस्पैच की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा” का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में प्रशासी विभाग, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष २०२५–२६ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् माह जुलाई, २०२५ के लिए उपलब्ध कराये गये डिस्पैच आंकड़ों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि ₹३८,३३,९५,८२०/- (रुपये अड़तीस करोड़ तैतीस लाख पंचानवे हजार आठ सौ बीस) मात्र के जिलावार राशि की गणना की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में माह जुलाई, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") अन्तर्गत मार्जिन मनी मद द्वारा जिलावार Limit Assign करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथावर्णित।

विश्वासमाजन

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण

S-3/Hindi\_Letter\_2025/pg\_1594

ज्ञापांक : ०४:०९:०१:२६:२०२५— ४०३। /वित्त, पटना/दिनांक-२३-०९-२५

**प्रतिलिपि—** सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि—** प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं एस०एल०ए०, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण



**बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०**  
**"खाद्य भवन" दरोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक रोड नं०-२ पटना ८००००१**

पत्रांक - ०४:०९:०१:२६:२०२५ :: ४०३०

/वित्त, पटना/दिनांक- २३-०९-२१-

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण,  
 निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र कुमार,  
 सरकार के विशेष सचिव,  
 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
 बिहार, पटना।

**विषय:** वित्तीय वर्ष २०२५-२६ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् माह अगस्त, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी की राशि के भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") के माध्यम से जिलावार लिमिट प्रदत्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०६-विविध-२०/२०१३(खंड)-५३ खाद्य, पटना/दिनांक-०४.०१.२०२३ की कंडिका-२ में "जनवरी, २०२३ से दिसम्बर, २०२३ तक प्रत्येक माह डिस्पैच की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा" का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में प्रशासी विभाग, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् माह अगस्त, २०२५ के लिए उपलब्ध कराये गये डिस्पैच आंकड़ों के आधार पर राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय डीलर्स मार्जिन मनी मद की कुल राशि रु.३७,५५,९२,६९४/- (रुपये सौंतीस करोड़ पचपन लाख बिरानवे हजार छः सौ चौरानवे) मात्र के जिलावार राशि की गणना की गयी है (जिलावार सूची संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में माह अगस्त, २०२५ से संबंधित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भुगतान हेतु SNA SPARSH (NFSA 4048 "BR - 219") अन्तर्गत मार्जिन मनी मद द्वारा जिलावार Limit Assign करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथावर्णित।

विश्वासभाजन

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण

५-३/Hindi\_Letter\_2025/pg\_1595

ज्ञापांक : ०४:०९:०१:२६:२०२५-४०३०

/वित्त, पटना/दिनांक- २३-०९-२१-

**प्रतिलिपि—** सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि—** प्रबंध निदेशक के प्रभारी सचिव/सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक एवं एस०एल०ए०, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण

*[Signature]*

*[Signature]*